



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092020-222033
CG-DL-E-26092020-222033

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2971]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942

No. 2971]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व रेलवे)

(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

कोलकाता, 25 सितम्बर, 2020

का.आ. 3325(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल (संशोधित) अधिनियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिला में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् “दामोदर-मोहिशिला (8.2 किमी) दोहरी लाइन” के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के लिए उक्त अधिनियम की धारा 20-घ की उप-धारा (1) के अधीन आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उप मुख्य इंजीनियर/निर्माण/आद्रा/दक्षिण पूर्व रेलवे, के इनके कार्यालय काशीपुर रोड, पुलिस स्टेशन के नजदीक, आद्रा, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल-723121 को लिखित रूप में किया जाएगा और इसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधिक व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों को सुने जाने के पश्चात और ऐसी और जांच किए जाने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी ठीक समझे, आदेश द्वारा या आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20-घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले भूमि रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा पूर्वोक्त सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्धमान जिला में “दामोदर-मोहिशिला (8.2 किमी) दोहरी लाइन” विशेष रेल परियोजना के लिए सन्निर्माण या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील/नगर निगम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	राजस्व सर्वेक्षण प्लॉट संख्या	नवीनतम राजस्व सर्वेक्षण प्लॉट संख्या	क्षेत्र (एकड़ में)
1.	पश्चिम बर्धमान	आसनसोल	हीरापुर	1648	4332P	4809	0.556
2.	पश्चिम बर्धमान	आसनसोल	हीरापुर	1648	4381P	4857	0.045
3.	पश्चिम बर्धमान	आसनसोल	हीरापुर	1648	4382P	4858	0.214

[फा.सं. दपूरे/नि-सं/मु/एल ए/डीएमए-एमओएच/दोहरीकरण -4]

कमल बैठा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Eastern Railway)
(CONSTRUCTION ORGANIZATION)

NOTIFICATION
Kolkata, the 25th September, 2020

S.O. 3325(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways (Amendment) Act, 2008 (hereinafter referred to as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project “Damodar-Mohishila (8.2km) doubling” in the district of Paschim Bardhaman in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, object, under sub-section (1) of section 20D of the said Act to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose.

Every such objection shall be made to the competent authority, viz. Dy. Chief Engineer/Construction/Adra/South Eastern Railway in his office at Kashipur Road, near Police station, Adra, Dist.-Purulia (West Bengal), PIN-723121 in writing and shall set out the grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structures for Special Railway Project “Damodar-Mohishila (8.20km) doubling” in the district of Paschim Bardhaman in the State of West Bengal.

Sl. No.	Name of District	Name of Tehsil/ Municipality	Name of village	Survey Number	Revenue Survey Plot Number	L.R Plot Number	Approx. Area (in acre)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Paschim Bardhaman	Asansol	Hirapur	1648	4332P	4809	0.556
2	Paschim Bardhaman	Asansol	Hirapur	1648	4381P	4857	0.045
3	Paschim Bardhaman	Asansol	Hirapur	1648	4382P	4858	0.214

[F.No. SER/CON-Orgn./HQ/LA/DMA-MOH/doubling-4]

KAMAL BAITHA, Chief Admn. Officer (Con.)